इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2019—बैशाख 27, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. एफ ए-3-18-2019-1-पांच (40).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार परिषद् की सिफारिश पर एतद्द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्गों को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(i) कोई प्रमोटर जो कि 01 अप्रैल 2019 को या उसके बाद नकद सहित किसी अन्य रूप में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट की निर्माण सेवा के रूप में, पूर्णत: या अंशत:, उनके द्वारा भुगतान की गई विचाराधीन अचल संपत्ति परियोजना के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) प्राप्त करता है;

(ii) कोई प्रमोटर जो कि 01 अप्रैल 2019 को या उसके बाद अग्रिम राशि के रूप में (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है), उनके द्वारा भुगतान की गई विचाराधीन रियल एस्टेट परियोजना में, आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए भूमि का दीर्घकालिक पट्टा प्राप्त करता है,

पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में जिनके मामले में राज्य कर का भुगतान करने की देयता है,—

(क) डेवलपमेंट राइट या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) की आपूर्ति के लिए प्रोजेक्ट में वाणिज्यिक या आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण सेवा के रूप में उनके द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल; या

(ख) किसी प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए संबद्ध डेवलपमेंट राइट या एफसीआई (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स) की आपूर्ति के लिए, उनके द्वारा भुगतान किया गया प्रतिफल; या

(ग) किसी प्रोजेक्ट में आवासीय अपार्टमेंट के निर्माण के लिए संबद्ध भूमि के दीर्घकालिक पट्टे के लिए उनके द्वारा भुगतान की जाने वाली अग्रिम राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास शुल्क या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है); या

(घ) डेवलपमेंट राइट्स या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के रूप में प्रतिफल के विरुद्ध उनके द्वारा निर्माण सेवा की आपूर्ति,

सक्षम प्राधिकारी द्वारा, जहां अपेक्षित हो, आरईपी के लिए पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की तिथि या उनके प्रथम कब्जे पर, जो भी पहले हो को उत्पन्न होगा.

2. **स्पष्टीकरण.**—इस अधिसूचना के उद्देश्य से:—

(i) "अपार्टमेंट" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (ङ) में दिया गया हो.

(ii) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो.

(iii) "प्रोजेक्ट" से अभिप्राय: किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) या रेज़ीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP) से है.

(iv) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)" का वही अभिप्राय: होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो.

(v) "रेज़ीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्राय उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP)के सभी अपार्टमेंट के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो.

(vi) उपर्युक्त पैरा 1 के उपपैरा (i) और (ii) के अन्तर्गत आने वाली सेवाओं का भुगतान इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-47-2017-1-पांच (59) दिनांक 7 दिसम्बर 2018 में प्रकाशित किया गया था, के अनुसार तथा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर करना होगा.

3. यह अधिसूचना 01 अप्रैल 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 मई 2019

क्र. एफ ए-3-18-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-18-2019-1-पांच (40), दिनांक 17 मई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिछारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 17th May 2019

No. F A-3-18-2019-1-V(40).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following clauses of registered persons, namely:—

(i) a promoter who receives development rights or Floor Space Index (FSI) (including additional FSI) on or after 1st April 2019 for construction of a project against consideration payable or paid by him, wholly or partly, in the form of construction service of commercial or residential apartments in the project or in any other form including in cash;

(ii) a promoter, who receives long term lease of land on or after 1st April 2019 for construction of residential apartments in a project against consideration payable or paid by him, in the form of upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name),

as the registered persons in whose case the liability to pay state tax on,—

(a) the consideration paid by him in the form of construction service of commercial or residential apartments in the project, for supply of development rights or FSI (including addtional FSI);

(b) the monetary consideration paid by him, for supply of development rights or FSI (including additional FSI) relatable to construction of residential apartments in project;

(c) the upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) paid by him for long term lease of land relatable to construction of residential apartments in the project; and

(d) the supply of construction service by him against consideration in the form of development rights or FSI (including additional FSI),—

shall arise on the date of issuance of completion certificate for the project, where required, by the competent authority or on its first occupation, whichever is earlier.

2. **Explanation.**—For the purpose of this notification,—

(i) The term "apartment" shall have the same meaning as assigned to it clause (e) of Section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(ii) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) of Section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(iii) the term "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate project (RREP);

(iv) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016);

(v) The term "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP.

(vi) Tax on services covered by sub-para (i) and (ii) of paragraph 1 above is required to be paid under reverse charge basis in accordance with this department notification No. F A-3-47-2017-1-V (59), dated 30th June 2017, as amended.

3. This notification shall deemed to have come into effect from the 1st day of April 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. RICHHARIYA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.